प्रेस नोट **02/02/2024**

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा व ₹50000–50000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 02–02–2024 को, मु0अ0सं0 275/22 धारा 304 भादवि थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण सुवचन उर्फ सुबच्चन पुत्र स्व0 हीरा, अच्छेलाल कुमार उर्फ अखिलेश कुमार पुत्र शिवबचन, हरेन्द्र नाथ पुत्र शिवबचन निवासीगण जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा व ₹50000–50000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नंदलाल भारती, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।